राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 587/2025

राजपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान जयपुर।
3. उप वन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, धौलपुर।
4. पंकज शर्मा, वरिष्ठ सहायक, उपवन संरक्षक वन्यजीव, राजसमंद।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री मनीष सिंह तोमर, केवियटर
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, केवियटर

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, धौलपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर मई, 2013 में हुई थी, जहां पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.05.2013 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2021 में वरिष्ठ सहायक के पद पर की गई, तब से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपवन संरक्षक धौलपुर से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया था। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2024 को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया।

कार्यग्रहण की 10 माह की अल्पावधि में ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्वयं की इच्छा पर इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने के आशय से प्रत्यर्थी संख्या 2 के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी को समायोजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपवन संरक्षक वन्य जीव राजसमंद में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के स्थान पर किया गया है। वन विभाग के स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति दिनांक 22.04.2011 (अनुलग्नक–3) के नियम संख्या 1.1 में निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 02 वर्ष होगी। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 10 माह की अल्पावधि में ही निजी प्रत्यर्थी को समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 385/2021 दशरथ सिंह बनाम वन विभाग में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 के द्वारा स्थगन आदेश दिया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.08.2023 द्वारा उक्त स्थगन आदेश को पुष्ट किया गया। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3888/2021 ओमप्रकाश शर्मा बनाम वन विभाग में पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 (अनुलग्नक–6), अपील संख्या 1141/2023 रघुनाथाराम बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 20.08.2023 (अनुलग्नक–7) एवं अपील संख्या 165/2023 योगेश उपाध्याय बनाम शिक्षा विभाग में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अपीलार्थी का भी आलोच्य आदेश द्वारा 10 माह की अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है, जो समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 6507/2019 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 (अनुलग्नक–9) द्वारा यह निर्धारित किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश नजर अंदाज करने के लिये नहीं है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त किया जाकर यथावत अपीलार्थी को वरिष्ठ

सहायक के पद पर उपवन संरक्षक वन्य जीव राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण, धौलपुर में ही पदस्थापन रखने के आदेश प्रदान करे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य